न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)
वाद पत्र संख्याः– 75/2011

पुनः दर्ज वाद संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
659/2021	2021/82	12.10.2021	08.08.2025

उनवान

छीतरमल पुत्र स्व० रामलाल, जाति गुर्दा निवासी ढाकला तन् चान्दोली तह० कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज०) । **वादी**

बनाम

1 सुलतान पुत्र स्व० शकर (फौत)
2 उमराव
3 पुरण
4. झाबर पुत्रान स्व० घीसा
5. रामकुवार पुत्र स्व० गोकुल तमाम जातियान गुर्जर, निवासीयान ढाणी ढाकला तन् चान्दौली, तह० कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज०)
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तह0 कोटपूतली हाल तह पावटा, जिला–जयपुर (राज०)।
7 सारली पत्नी स्व० घीसा
8. पताशी
9 माली
10 नाथी
11 अणची पुत्रीयान स्व० घीसा
12 सुरजी पत्नी स्व० रामलाल
13. सजना
14. लीला पुत्रीयान रामलाल
15. बादामी पत्नी स्व० सुलतान
16 प्रहलाद
17 शिम्भूदयाल पुत्रान स्व० सुलतान
18. कमली पुत्री स्व० सुलतान तमाम् जातियान गुर्जर, निवासीयान वाणी ढाकला तन् चान्दौली, तह० कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज०)। **प्रतिवादीगण**
19. सायर
20 गिरधारी पुत्रान रामलात जातियान गुर्जर, निवासीयान ढाणी ढाकला तन् चान्दौली. तह० कोटपूतली. जिला–जयपुर (राज०) तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री अशोक सिंह गुर्जर
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि आराजी खसरा नम्बर 1122/1.07, 1123/0.59 बन्दोबस्त हाल वाके ग्राम चान्दोली, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान के सुलतान पुत्र शंकर, रामलाल पुत्र देवकरण, घीसा पुत्र देशराज गुर्जर बहिस्सा बराबर–बराबर यानि 1/3–1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनमें रामलाल व घीसा की मृत्यु हो गई है। रामलाल के पद चिन्हों पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 व 8 तथा मृतक घीसा के पद चिन्हों पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। पक्षकारान ने सामलात में बहिस्सा बराबर–बराबर रूपये खर्च कर अपनी उक्त कृषि भूमि की उन्नती के लिए खसरा नम्बर 1122 में कुंआ बनाया और उसमें सिंचाई के लिए इंजन लगाकर बहिस्सा बराबर–बराबर अपनी–अपनी फसल सिंचाई करते चले आ रहे है ।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. पक्षकारान अब तक शामिल में आराजी विवादास्पद को काश्त करते चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के मन में बेईमानी आ गई तथा प्रतिवादी संख्या 05 के साथ मिलकर विवादित भूमि में जगह–जगह खड्डे खोदने लग गये। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ताकतवर, बाजौर किस्म के इंसान है तथा आये दिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को अपने हिस्सानुसार कुंये व इंजन से फसल सिंचाई करने में विवाद करते है तथा कल प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा–काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी तथा कुंये व इंजन से फसल सिंचाई करने के लिए मना कर दिया तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के समझाने पर मर–मार पर उतारू हो गये इसलिए माननीय न्यायालय में दावा बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है। बिनाय दावा बिनाय मुखारमत कल दिन प्रतिवादीगण द्वारा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे एव काश्त में मजाहमत करने की धमकी देने तथा ताकत के बल पर आराजी में खडडे खोदने एंव कुंये से वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को पानी नही लेने की धमकी देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। मालियत दावा बगर्जे समाअत अख्तियार एंव अदाये कोर्ट फीस दावा हर दादरसी पर निश्चित न्यायशुल्क 2 रूपये कुल 4 रूपये कोर्ट फीस पर वाद पेश है। पक्षकारान का निवास स्थान एंव विवादित जमीन तथा विवादित कुंआ श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार ह ।

3. वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण दावेदार है कि एक किता डिक्री बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण वर खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1122/1.07, 1123/0.59 बन्दोबस्त हाल वाके ग्राम चान्दोली, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान को मीट्स एण्ड बाउण्डस तथा अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी बांटकर हिस्सा 1/3 अलग किया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/3 पर तन्हा तौर पर काबिज कराया जावे तथा खसरा नम्बर 1122 में कुंये का हिस्सा अलग छांटकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर अलग बटा नम्बर डालकर खसरा बनाया जावे तथा इसी कदर इन्द्राजात बन्दोबस्त हाल में अमल दरामद किया जावे तथा नक्शा देस में तरमीम की जावे। तथा एक किता डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अगर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1122/1.07, 1123/0.59 बन्दोबस्त हाल वाके ग्राम चान्दोली, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान के वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा–काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा या अड़चन पैदा ना करें। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त करने देवें, कुंये व इंजन से पानी लेने देवे । प्रतिवादी संख्या 6 को पाबन्द किया जावे कि वे हाल राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाई रखें उसमें किसी प्रकार की तब्दीली ना करें। ना ऐसा प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना अपने किसी नौकर–चाकर, मुख्तयार, एजेन्ट, ठेकेदार आदि से करावें। सदा–सदा के लिए ममनू व बाज रहें । या जो दादरसी बनजदीक अदालत साबित हो सादिर फरमाई जावे। हर्जा–खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4 वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तरतीबी प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेश वर्मा उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 20.09.2013 वकुलाये फेरिकेन की बहस उपरान्त वादपत्र को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पावटा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 26.03. 2019 करे प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी व आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाये फेरिकने की बाद बहस उक्त दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये। दिनांक 31.07.2019 को वादी वकील द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 21.11.2022 को तहसीलदार पावटा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो आगामी नियत दिनांक को शामिल पत्रावली की गई दिनांक 06.12.2022 को प्रतिवादी सं. 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 07.05. 2024 को वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक सिंह गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाये फेरिकेन की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 06.12.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का निस्तारण किया गया। दिनांक 28.07.2025 को प्रतिवादी सं. 03 की ओर से कोई उपस्थित नही आने के कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

5. अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 1122/1.07, 1123/0.59 वाकै मौजा चांदोली तहसील पावटा जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्रसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**गिरधारी पुत्र रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार** **छीतर पुत्र रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार** **सायर पुत्र रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार** **सुरजी पत्नी रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार** **लीला पुत्री रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार** **सजना पुत्री रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार**	**1122/1/0.5533 हैक्ट0 भूमि।**
2	**प्रहलाद पुत्र सुल्तान हि. 1/2 जात गुर्जर सा. देह खातेदार** **बनवारी लाल पुत्र भगवानसहाय यादव हि. 1/2 जाति अहीर सा. टसकोला**	**1122/2/0.5167, 1123/2/0.0367 हैक्ट0 भूमि।**
3	**झाबर पुत्र घीसा हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार** **पूरण पुत्री घीसा हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार**	**1123/1/0.5533 हैक्ट0 भूमि।**

नोटः–बंटवारा रिपोर्ट में क्रम सं. 01 में अंकित खातेदार सायर पुत्र रामलाल की मृत्यु होने के कारण फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार उसके वारिसान निम्न है– सन्तोष पत्नी सायर, महेश कुमार गुर्जर, पिन्टु कुमार गुर्जर पि0 सायर एवं मौसम पुत्री सायर जाति गुर्जर है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्याः– 75/2011

पुनः दर्ज वाद संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
659/2021	2021/82	12.10.2021	08.08.2025

उनवान

छीतरमल पुत्र स्व० रामलाल, जाति गुर्दा निवासी ढाकला तन् चान्दोली तह० कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज०) । **वादी**

बनाम

1 सुलतान पुत्र स्व० शकर (फौत)
2 उमराव
3 पुरण
4. झाबर पुत्रान स्व० घीसा
5. रामकुवार पुत्र स्व० गोकुल तमाम जातियान गुर्जर, निवासीयान ढाणी ढाकला तन् चान्दौली, तह० कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज०)
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तह0 कोटपूतली हाल तह पावटा, जिला–जयपुर (राज०)।
7 सारली पत्नी स्व० घीसा
8. पताशी
9 माली
10 नाथी
11 अणची पुत्रीयान स्व० घीसा
12 सुरजी पत्नी स्व० रामलाल
13. सजना
14. लीला पुत्रीयान रामलाल
15. बादामी पत्नी स्व० सुलतान
16 प्रहलाद
17 शिम्भूदयाल पुत्रान स्व० सुलतान
18. कमली पुत्री स्व० सुलतान तमाम् जातियान गुर्जर, निवासीयान वाणी ढाकला तन् चान्दौली, तह० कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज०)। **प्रतिवादीगण**
19. सायर
20 गिरधारी पुत्रान रामलात जातियान गुर्जर, निवासीयान ढाणी ढाकला तन् चान्दौली. तह० कोटपूतली. जिला–जयपुर (राज०) तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री अशोक सिंह गुर्जर
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 1122/1.07, 1123/0.59 वाकै मौजा चांदोली तहसील पावटा जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

कसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	गिरधारी पुत्र रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार छीतर पुत्र रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार सायर पुत्र रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार सुरजी पत्नी रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार लीला पुत्री रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार सजना पुत्री रामलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार	1122/1/0.5533 हैक्ट0 भूमि।
2	प्रहलाद पुत्र सुल्तान हि. 1/2 जात गुर्जर सा. देह खातेदार बनवारी लाल पुत्र भगवानसहाय यादव हि. 1/2 जाति अहीर सा. टसकोला	1122/2/0.5167, 1123/2/0.0367 हैक्ट0 भूमि।
3	झाबर पुत्र घीसा हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार पूरण पुत्री घीसा हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार	1123/1/0.5533 हैक्ट0 भूमि।

नोटः—बंटवारा रिपोर्ट में क्रम सं. 01 में अंकित खातेदार सायर पुत्र रामलाल की मृत्यु होने के कारण फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार उसके वारिसान निम्न है— सन्तोष पत्नी सायर, महेश कुमार गुर्जर, पिन्टु कुमार गुर्जर पि0 सायर एवं मौसम पुत्री सायर जाति गुर्जर है।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

आज दिनांक 08.08.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली—बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली—बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	